प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप अनुरक्षण खण्ड,
भदोही।

सेवामें,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक– /न0अ0ख0भ0/ नीलामी/ दिनांक– 2018

विषयः–नीलामी सूचना संख्याः–01/2018–2019/को समाचार पत्रों में प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस खण्ड में निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी से सम्बन्धित सूचना संख्याः–01/2018–2019/की सात प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित हैं कि कृपया इस सूचना को स्थानीय दैनिक समाचार/अमर उजाला आदि पत्रों (अग्रेजी/हिन्दी) में जो भदोही एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में सर्वप्रचालित हो दो दिनों के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित कराने की कृपा करें।

कृपया उक्त स्थानीय दैनिक सर्वप्रचालित समाचार पत्रों के अतिरिक्त नीलामी सूचना को फाइनेन्सियल एक्सप्रेस/बिजनेश स्टैडर्ड/इकोनामिक टाइम्स में से किसी एक समाचार पत्र में व टाइम्स आफ इण्डिया/हिन्दुस्तान टाइम्स में से किसी एक समाचार पत्र में भी कम से कम एक बार प्रकाशित कराने की कृपा करें।

संलग्नक– 1.नीलामी सूचना 7 सेटो में।
2.एक अद्द सी0डी0।

भवदीय

(नन्द लाल)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक– /न0अ0ख0भ0/ नीलामी/ दिनांक– 2018

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख अभियन्ता (यॉत्रिक), सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (सज्जा) सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता केन्द्रीय सज्जा एवं भण्डार संगठन प्रथम गंगा सिंचाई भवन उत्तर प्रदेश तेलियाबाग लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी), सिंचाई एंव जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, वरूणापुरम, सिंगरा वाराणसी।
5. अधीक्षण अभियन्ता कम्प्यूटर केन्द्र प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ को मय सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित हैं कि इसे सिचांई विभाग की बेबसाइड पर प्रकाशन एव डाउनलोड कराने की कृपा करें।
6. जिलाधिकारी, भदोही।
7. पुलिस अधीक्षक, भदोही को सुरक्षा व्यवस्था हेतु।
8. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल मिर्जापुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड मिर्जापुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल नहर खण्ड मिर्जापुर।
11. सहायक अभियन्ता प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ उपखण्ड, नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही।
12. नोटिस बोर्ड।

(नन्द लाल)
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही।

सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्याः–01/2018–19 नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि निम्नालिखित सूची के अनुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी दिनांक–17.08.2018 को नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही में अपरान्ह 01.00 बजे से निम्नालिखित शर्तो के अधीन की जायेगी।

निष्प्रयोज्य सामग्री केन्द्रीय भण्डार स्टेशन रोड भदोही में उपलब्ध हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र दिनांक–13.07.2018 से 16.08.2018 तक सुबह 10.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही से कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर कार्य अवधि में प्राप्त किये जा सकते है। भरे हुए आवेदन–पत्र निर्धारित धरोहर धनराशि तथा पहचान–पत्र के साथ नीलामी की तिथि को अपरान्ह 12.00 बजे तक खण्डीय कार्यालय में जमा करना होगा।

कमांक	सामग्री का विवरण	युनिट मात्रा कि0ग्रा0में	लाट संख्या	धरोहर धनराशि	आवेदन पत्र का मूल्य	स्थान का नाम/पता जहॉ सामग्री उपलब्ध हैं।
1	2	3	4	5	6	7
1	पी0बी0सी0कोटेड जला हुआ तॉबे का तार स्कैप	4860	01	1,44,350.00	100+18 प्रतिशत/जी.एस.टी. नियमानुसार	नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही।
2	जला हुआ एल्युमिनियम का तार स्कैप	36	02	500.00	–तदैव–	–तदैव–
3	कास्ट आयरन स्कैप	615	03	1600.00	–तदैव–	–तदैव–

नीलामी की मुख्य शर्तेः–

1. धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोही के नाम बन्धक तथा भदोही में देय बैंकर चेक/बैक डाफ्ट के रूप में ही देय होगी। जिसे नीलामी स्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा। धरोहर धनराशि जमा किये बिना नीलामी में भाग नही लिया जा सकता। धरोहर धनराशि नगद रूप में मान्य नही होगी।
2. बोलीदाता को अपनी फोटो पहचान–पत्र, निवास स्थान, कार्यालय के पते तथा दूरभाष संख्या नोटरी से सत्यापित कराकर नीलामी के दिन निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।
3. बोलीदाता को अपना फर्म का इनकमटैक्स का पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर तथा व्यापार कर में रजिस्टेशन की फोटो प्रति भी जमा करना अनिवार्य होगा। इनकमटैक्स का पैन नम्बर, जी0एस0टी0 नम्बर तथा व्यापार कर का रजिस्टेशन न होने पर बोली में भाग नही लिया जा सकेगा।
4. नीलामी निर्धारित तिथि को गठित समिति के समक्ष की जायेगी।
5. उपरोक्त सामग्री जहॉ भी हैं,जैसे भी हैं के आधार पर नीलामी की जायेगी।
6. नीलामी की जाने वाली सामग्री केन्द्रीय भण्डार स्टेशन रोड भदोही में उपलब्ध हैं का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में सम्बन्धित अवर अभियन्ता (भण्डार)/भण्डार पाल से सम्पर्क कर किया जा सकता हैं।
7. अधिकतम बोलीदाता को बोली मूल्य का 25 प्रतिशत (धरोहर धनराशि शामिल करते हुए) तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. विकय किये गये आवेदन–पत्र का मूल्य वापस नही किया जायेगा।
9. सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप अनुरक्षण खण्ड
भदोही।

निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी की अन्य शर्तेः–

1. बोलीदाता के अलावा अन्य किसी बाहरी व्यक्ति का नीलामी स्थल में प्रवेश वर्जित रहेगा।
2. नीलामी की स्वीकृति विभाग/शासन स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी। जिन्हे बिना कारण बताये नीलामी स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना प्रेषण के पन्द्रह दिवस के अन्दर अवशेष 75 प्रतिशत जमा करना होगा।तदोपरान्त 15 दिवस के अन्दर अधिशासी अभियन्ता के लिखित आदेश पर सामग्री उठाना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में 75 प्रतिशत शेष जमा धनराशि जमा न करने पर पूर्व में जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा।
3. उच्चतम बोली बोलने वाले को कुल बोली मूल्य पर जी.एस.टी. नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली अस्वीकृत होने पर 25 प्रतिशत जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
5. नीलामी हेतु सामग्री जहा हैं जैसे की स्थिति में प्रदान किया जायेगा। बोली स्वीकृत के पश्चात् नीलामी सामग्री सन्दर्भ में कोई शिकायत स्वीकार्य नही होगा।
6. उच्चतम बोलीदाता द्वारा नीलामी के अनुमोदन होने एवं सामग्री उठाने तक दर्शित सामग्री की सुरक्षा प्रबन्ध स्वयं करनी होगी।
7. नीलामी की समस्त प्रकिया वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 के पैरा 260 ए एपेन्डिक्स एक्स आई एक्स डी के अन्तर्गत की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप अनुरक्षण खण्ड
भदोही।